उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 256 /ix-1/2022
देहरादून: दिनांक 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूंकि, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन 1988) की धारा 138 के अधीन राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) में पूर्व प्रकाशन की शर्तो के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतः अब राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2022 का प्रारूप समस्त सम्बन्धितों की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं;

राज्यपाल, यह निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना से सम्बन्धित हितधारी एवं जनसामान्य द्वारा इस अधिसूचना से सम्बन्धित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियां इस अधिसूचना के गजट तथा परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट में प्रकाशित होने की तिथि के 15 दिन के भीतर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किये जा सकेंगे;

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नियमावली प्रारूप

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) उपरोक्त कार्यवाही से किसी एक वित्तीय वर्ष में	(2) उपरोक्त कार्यवाही से किसी एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किये

C.S.BISHT;\Documents\P.K. Verma\New Cabinate Note_19-07-2017\Niyamawali

Scanned with CamScanner

एकत्रित किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान कराकर जमा करायी जायेगी।	गये प्रशमन शुल्क की धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि, नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान कराकर जमा करायी जायेगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

C.S BISHT;\Documents\P.K. Verma\New Cabinate Note_19-07-2017\Niyamawali

Scanned with CamScanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No.......ix-1/2022, Dated July, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand
Transport Section- 1
No. 256 /ix-1/2022
Dehradun, Dated : 18 July, 2022

Notification

Whereas, under section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no-59 of 1988) the power to make rules to implement the provisions of the said Act by notification on the official Gazette and under the condition of previous publication in sub section (1) of section 212 of the said Act, is vested in the State Government;

Now, therefore, as per the requirement of sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Governor hereby publishes the draft of Uttarakhand Road Safety Fund (Amendment) Rules, 2022 for the information of all concerned;

The Governor directs that any representation and objections related to this notification by the beneficiary and the general public related to this notification may be sent within the period of 15 days from the date of publication of this notification in the newspaper to the office of Secretary, Transport Department, Government of Uttarakhand, Dehradun;

The Governor also directs that representations and objections shall not be accepted after the said time period.

Draft of Rules

The Uttarakhand Road Safety Fund (amendment) Rules, 2022

Short title and commencement	1.	(1)	These rules may be called the Uttarakhand Road Safety Fund (Amendment) Rules, 2022.
		(2)	It shall come into force at once.
Amendment of Rule 5	2.		In the Uttarakhand Road Safety Fund Rules, 2017 for the existing sub rule (2) of rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing Rule**	**Column 2** **Hereby substituted rule**
25 percent of the	30 percent amount of

C.S.BISHT:\Documents\P.K. Verma\New Cabinate Note_19-07-2017\Niyamawali

Scanned with CamScanner